भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 638
दिनांक 25.07.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

गुजरात में जल जीवन मिशन (जेजेएम)

638. श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोरः
श्रीमती गनीबेन नागाजी ठाकोर:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या सरकार वर्ष 2024 तक जल जीवन मिशन (जेजेएम) की हर घर जल पहल के अंतर्गत प्रत्येक घर में नल से जल कनेक्शन उपलब्ध कराने का विचार रखती है;
(ख) यदि हां, तो विशेष रूप से गुजरात के संदर्भ में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) क्या नल से जल योजना गुजरात में कार्यान्वित की जा रही है और विगत तीन वर्षों के दौरान इस योजना के अंतर्गत गुजरात को आबंटित निधियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)
(क) से (ग): अगस्त 2019 से, भारत सरकार गुजरात के ग्रामीण परिवारों सहित देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए राज्यों की भागीदारी से जल जीवन मिशन (जेजेएम)-हर घर जल को लागू कर रही है। जेजेएम की घोषणा के समय, देश में 3.23 करोड़ ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। तब से, 11.76 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 22.07.2024 तक, देश के 19.32 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15 करोड़ (77.63%) परिवारों हेतु नल जल आपूर्ति का प्रावधान किया गया है। इसी तरह, गुजरात में 65.16 लाख ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। जल जीवन मिशन की घोषणा के बाद से 26.02 लाख और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 22.07.2024 तक, राज्य के सभी 91.18 लाख (100%) ग्रामीण परिवारों के लिए नल जल आपूर्ति का प्रावधान किया गया है।

पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान गुजरात को आबंटित/उसके द्वारा आहरित जल जीवन मिशन निधियों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

(जेजेएम केंद्र का हिस्सा - करोड़ रुपये में)

वित्त वर्ष	जेजेएम निधि आवंटन	आहरित निधि
2021-22	₹ 3,410.61	2,557.96
2022-23	₹ 3,590.16	3,590.16
2023-24	₹ 2,982.85	2,237.14

*****